भारत सरकार

रक्षा मंत्रालय

रक्षा विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 410

03 फरवरी, 2021 को उत्तर के लिए

रक्षा सौदे

410. कुंवर दानिश अली :
श्रीमती शर्मिष्ठा सेठी :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) कितने देशों के साथ रक्षा सौदे हस्ताक्षरित किए गए हैं और विगत पांच वर्षों और वर्तमान वर्ष के दौरान अंतिम रूप दिए गए सौदों का ब्यौरा क्या है;
(ख) उक्त अवधि में इन सौदों हेतु सरकार द्वारा भुगतान की गई विदेशी मुद्रा की प्रमात्रा कितनी है;
(ग) भारत में उपकरण कब तक आने की संभावना है इन उपकरणों से रक्षा आवश्यकताओं को किस स्तर तक सुदृढ़ करने की संभावना है;
(घ) क्या विगत तीन वर्षों के दौरान कुछ सौदों में अनियमितताएं पाई गई हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ङ) इन सौदों में की गई जाँच की स्थिति क्या है और रक्षा सौदों में अनियमितताओं को दूर करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(च) क्या इन सौदों में कोई भारतीय कंपनी शामिल है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीपाद नाईक)

(क) से (ग) पिछले पाँच वर्षों और वर्तमान वर्ष (अक्टूबर, 2020 तक) के दौरान रूस, फ्रांस, इजरायल, यूएसए आदि जैसे देशों से विक्रेताओं के साथ 261 संविदाओं में से 96

संविदाओं पर हस्ताक्षर किए गए हैं। प्रत्येक संविदा में उपस्कर की सुपुर्दगी और उनके भुगतान शर्तों का विशेष उल्लेख किया जाता है।

(घ) से (च) रक्षा उपस्कर की पूँजीगत अधिप्राप्ति रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया (डीएपी)/रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डीपीपी) के प्रावधानों के अनुसार की जाती है जिसमें पूर्व-संविदा सत्यनिष्ठा समझौता (पीसीआईपी) पर हस्ताक्षर करना, संविदा के मानक उपबंध और विक्रेता द्वारा सत्यनिष्ठा समझौता बैंक गारंटी (आईपीबीजी) प्रस्तुत करने के प्रावधान शामिल हैं ताकि उच्चतम सत्यनिष्ठा और सार्वजनिक जवाबदेही, प्रचालनों में पारदर्शिता, मुक्त प्रतिस्पर्धा और निष्पक्षता सुनिश्चित की जा सके। इसके अतिरिक्त डीएपी/डीपीपी में यह प्रावधान है कि अधिग्रहण प्रक्रिया के किसी स्तर पर उठने वाली शिकायतों की जाँच रक्षा मंत्रालय (अधिग्रहण)/रक्षा मंत्रालय के किसी अन्य विभाग द्वारा अथवा विक्रेताओं/किसी अन्य एजेंसी द्वारा स्वप्रेरणा से उठाई गई शिकायतों द्वारा अभिनिर्देश के आधार पर नामांकित और सीवीसी अनुमोदित स्वतंत्र बाहरी मॉनीटरों के (आईईएम) पैनल द्वारा की जाए। उपर्युक्त सभी प्रावधान अधिग्रहण प्रक्रिया के दौरान उठने वाली शिकायतों से निपटने में वांछित पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करते हैं।

*****